

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये

रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AA 169994

यह जनरल स्वाम्य वपर रामनाथ-धनन्जय  
स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान  
जिला-झाजमगढ़ कार्ड नं०-12432  
के साथ संलग्न है।  
~~स्मृतिपत्र~~



सत्य प्रतिलिपि

  
सहायक निबंधक  
एन सी ई आर टी ई तथा बिट्ट  
आर मयठ  


# : स्मृति पत्र :

1. संस्था का नाम : रामनाथ-धनन्जय स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान ।  
 2. संस्था का पता : ग्राम जगदीशपुर पो० लोहरा तह० मुहानपुर जिला आजमगढ़, उ०प्र०।  
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश ।  
 4. संस्था के उद्देश्य : कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास हेतु प्राइमरी स्तर से उच्च

स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्फेण्ट विद्यालयों, बाल श्रमिक विद्यालयों, आश्रमपरक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों तथा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालिका विद्यालयों महाविद्यालयों, अनीपचारिक शिक्षा केन्द्रों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, ऑगनवाड़ी, बालवाड़ी, सर्वशिक्षा अभियान कक्षाकेंद्रों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।  
 5. निःशुल्क, दलित, विकलांग, मेधावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक आश्रित सेवानियों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

6. निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, छात्रावासों, अनाथालयों, कुशलघरों, विधवा श्रमों, नारी निकेतनों बाल संरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

7. बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुओं मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित-प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

8. विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना ।

9. बालक/बालिकाओं, कलाकारों, के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना, सफल बालक/ बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

10. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, तकनीकी, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला कम्प्यूटर टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, पेंटिंग, धरीकढ़ाई, चिकनकढ़ाई, कालीन बुनाई, धरी बुनाई संगीत, नाट्य, बाद्य, कला, नृत्य, कढ़ाई आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्लू०एच०ओ०, सिडपी, अर्वाड, कर्पाट, नरार्ड नोराड, डूडा, सूडा, डवाकरा डी०आर०डी०ए०, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वजलधारा, सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना ।

12. मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों, हेपेटाइटिस बी० टीकाकरण शिविरों, टीकाकरण शिविरों, पल्सपोलियो शिविरों, दवाखानों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं निःशुल्क संचालन करना ।

13. पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा बुझारोपण करना तथा संस्था द्वारा अर्जित धन को संस्था विकास एवं धीरिटेबुल कार्यों में व्यय करना ।

रामनाथ  
 जगदीशपुर  
 2021/11/11

सुरेष्ठ

श्री ५/१५/५

Alk.k

रामनाथ

विन्डू

राजकुमार

सत्यमेव जयते

3/11/21

महाराष्ट्र  
 2021/11/11

भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला, तहसील, ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय व शिक्षा की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

- १२: वाटरशेड एसोसिएशन/जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों व शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- १३: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज, बाल विवाह, नशा, शराब, गौजा, अफीम, भोंग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
- १४: गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल, तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
- १५: कस्तूरबा गौधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं एवं कोचिंग सेन्ट्रों की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना तथा मिड-डे-मिल योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।
- १६: दैवीय आपदा यथा बाढ़, सूखा, भूकम्प, महामारी आदि के समय लोगों की यथा मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन, दवा, इलाज, आवास वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।
- १७: जल प्रदूषण को रोकने का हर सम्भव प्रयास करना तथा इस निमित्त प्रचार-प्रसार करना एवं लोगों को जल प्रदूषण से हो रहे हानि के बारे में लोगों को बताना।
- १८: गंगा साहित समस्त नदियों में हो रहे जल प्रदूषण से होने वाली हानी एवं उससे उत्तपन्न विमारियों के बारे में लोगों को बताना तथा इसका प्रचार-प्रसार एवं बचाव करना तथा इसके लिए लोगों को जागरूक करना।
- ५: संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों / पदाधिकारियों के नाम, पिता/पति का नाम, पता पद तथा व्यवसाय

जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया :-

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१: श्रीमती सुशीला तिवारी	श्री पद्माकर तिवारी	ग्राम, पो० अतरीतिया थिरईपट्टी, आजमगढ़	अध्यक्ष	समाजसेवा
२: श्रीमती इन्द्रा मिश्रा	श्री राजमणि मिश्र	७६२, महावीरपुरी, तेलियरगंज इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	"
३: श्री प्रभाकर तिवारी	स्व० श्री रामनाथ तिवारी,	ग्राम थिरईपट्टी पो० वसहिया आजमगढ़	प्रबन्धक/ सचिव	"
४: श्रीमती राजकुमारी	श्री सुधाकर तिवारी	" "	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	"
५: श्री अशोक मिश्र	श्री रामप्यारे मिश्र	ग्राम, पो० सिकन्दरपुर खालसा आजमगढ़	कोषाध्यक्ष	"
६: श्री रमाशंकर तिवारी	श्री रामदुलार तिवारी	ग्राम, पो० हूँसेपुर, आजमगढ़	आडीटर	"
७: श्री सुरेश मिश्र	स्व० श्री रामसेवक मिश्र	ग्राम, पो० ढखवां, अम्बेडकरनगर	सदस्य	"
८: श्री प्रसाद	स्व० श्री रामउजागिर मिश्र	ग्राम सहाबुद्दीनपुर पो० कल्यानपुर, अम्बेडकर नगर	सदस्य	"
९: श्रीमती विन्दू	श्री गौतम	ग्राम चितौना पो० कालेपुर महुवल, अम्बेडकरनगर	"	"

६: हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो० रजि० ऐक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं।

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

२३/११/१७

२३/११/१७